(1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
☎0141-2716402 : commissionerwe.wcd@rajasthan.gov.in : wcd.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 1(1)(124) निमअ / स्था / 2018 / पार्ट–III /   जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर महिला अधिकारिता परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2017 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता में निम्नांकित अभ्यर्थियों को समसंख्यक आदेश क्रमांक 24750 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा अस्थाई आधार पर पर्यवेक्षक (सुपरवाइर्जर) महिला अधिकारिता के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष हेतु परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी के रूप में नियुक्त किया गया थाः–

क्र.स.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पदस्थापन स्थान (पंचायत समिति / ब्लॉक)	जिला
1	464290	शंकर लाल गुर्जर	श्री भवंर लाल गुर्जर	केकड़ी	अजमेर
2	237619	सरोज मीणा	श्री राम निवास मीना	पहाड़ी	भरतपुर
3	181219	रेणु कुमारी	स्व. श्री रामवीर सिंह	कामां	भरतपुर

उक्त नवचयनित अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक (सुपरवाइर्जर) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए उक्त विभागीय नियुक्ति आदेश क्रमांक 24750 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर नियत 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देश दिए गए थे। तदुपरान्त भी उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। तत्पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 26.10.2021 के द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को एक अन्तिम अवसर देते हुए 07 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा दूरभाष पर भी सम्पर्क किया गया, जिसके क्रम में उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करने से लिखित / दूरभाष पर मना कर दिया गया। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त अभ्यर्थी विभाग में पर्यवेक्षक (सुपरवाइर्जर) के पद पर कार्य करने के इच्छुक नही हैं।

अतः उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

sd/-

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकः एफ 1(1)(124) निमअ / स्था / 2018 / पार्ट–III /37504-512 जयपुर, दिनांक : 8/12/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. संबंधित उप निदेशक / सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता.......................................।
6. प्रोग्रामार महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. संबंधित अभ्यर्थी श्री / श्रीमती / सुश्री...
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.